

**न्यायालय जिला कलक्टर, बारां ( राजस्थान )**

पीठासीन अधिकारी- श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या- 05/2022

**बउनवान**

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् बारां जिला-बारां ( प्रार्थी )

**बनाम**

श्री अशोक मित्तल (डीलर) ग्राम पंचायत खजूरनाकलां, पंचायत समिति अन्ता तहसील अन्ता, जिला-बारां (राज.) ( अप्रार्थी )

**प्रार्थनापत्र जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत**

उपस्थिति :-1. श्री रूपचन्द सिंघावत अभिभाषक ( प्रार्थी )

**आदेश दिनांक- 26.12.2023**



1- प्रार्थी की ओर से जयें अभिभाषक जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत प्रार्थनापत्र विरुद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत, खजूरनाकलां, पंचायत समिति, अन्ता पर राष्ट्रीय पोषाहार सहायता पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत 4.508 क्विंटल गेहू गबन किये जाने पर राशि 3250/- रुपये वसूल किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थी द्वारा रिक्वीजेशन प्रपत्र 1 प्रस्तुत करने पर दिनांक 19.12.2008 को प्रपत्र-2 धारा-4 के तहत जारी किया गया है।

2- प्रार्थना पत्र पेश होने पर जनमॉग वसूली अधिनियम-1952 के तहत नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा-6 के तहत नोटिस जारी किया जाकर, धारा-4 का प्रमाण पत्र संलग्न कर तलब किया गया।

3- अप्रार्थी स्वयं की मृत्यु हो जाने के कारण अप्रार्थी के पुत्र श्री हेमन्त मित्तल ने सभी वारिसान की ओर से उपस्थिति दी तथा कोई जवाब पेश नहीं किया। दौराने विचारण अप्रार्थी का पुत्र श्री हेमन्त मित्तल भी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर एकपक्षीय बहस अभिभाषक प्रार्थी की सुनी गई।

4- दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये विशेष अंकेक्षण में 4.508 क्विं. गेहू का गबन पाये जाने पर प्रार्थी के स्तर से कई बार नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी अप्रार्थी द्वारा राशि

**जिला कलक्टर  
बारां (राज.)**

3250/- रूपये जमा नहीं करवाने पर प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर, अप्रार्थी के विरुद्ध उक्त राशि वसूल करने हेतु आदेश पारित किये जावे।

5- हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक प्रार्थी पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पंचायत समितियों में संचालित राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम की नवम्बर 1995 से नवम्बर 1997 की अवधि की विशेष अंकेक्षण दल द्वारा की गई जांच में हेण्डलिंग एजेन्टों द्वारा प्रस्तुत प्राप्ति रसीदों से अप्रार्थी डीलर द्वारा प्रस्तुत पोषाहार कूपनों के आधार पर प्राप्त किये गये गेहू की मात्रा में से समायोजन पश्चात् शेष गेहू की मात्रा के आधार पर वसूली योग्य राशि 3250/- रूपये निकाली गई है।

6- अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी श्री अशोक मित्तल (डीलर) ग्राम पंचायत खजूरनाकलां, पंचायत समिति अन्ता जिला-बारां (राज0) से राजस्थान जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत राशि 3250/-रूपये मय 13 प्रतिशत ब्याज एवं 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्जेज सहित वसूल किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। अप्रार्थी से उक्त राशि वसूल करने हेतु आदेश की प्रमाणित प्रति मय प्रमाणपत्र धारा-4 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बारां एवं जिला राजस्व लेखाकार, बारां को भिजवायी जावे।

आदेश आज दिनांक 26.12.2023 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।



(नरेन्द्र गुप्ता)  
जिला कलेक्टर, बारां  
बारां (राज०)